श्री सभापति : डिटेल में मत जाइए।

श्री हरदीप सिंह पुरी : उन्होंने रेज़िडेंशियल एरियाज़ की बात की। सर, अगर हम रेज़िडेंशियल एरियाज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट-हमारे पास ECS norms हैं कि हरेक रेज़िडेंशियल एरिया में, सरकारी बिल्डिग्स में कितनी पार्किंग नॉर्म्स होनी चाहिए। हमारा यही प्रयत्न है कि हम उन नॉर्म्स को फॉलो करें। बाकी डीडीए अपने कई कार पार्किंग प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अगर वे चाहें तो मैं उनको ये नम्बर्स दे सकता हूं।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, माननीय मंत्री जी बहुत competent हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नई कॉलोनीज़ बनती हैं, क्या उनमें यह प्रोविज़न है कि वह पहले parking lot बनाए, उसके बाद कोई काम करे?

श्री हरदीप सिंह पुरी : सर, जब किसी नई कॉलोनी का कंसेप्ट आता है, तो उस कॉलोनी का तब तक अप्रूवल ही नहीं हो सकता है, जब तक कि उसमें traffic norms, पार्किंग की व्यवस्था, solid and liquid waste के ट्रीटमेंट आदि के प्रोविज़न्स न हों। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कभी भी नई कॉलोनी के मास्टर प्लान में या जो सरकारी कॉलोनीज़ हैं, उनमें काम नहीं करते हैं, जब तक कि उनमें ट्रैफिक, पार्किंग, waste management आदि के provisions adequately न किए जाएं।

MR. CHAIRMAN: This is the least specific question. We cannot have a general discussion. Now, Q. No. 174. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

*174. *[The questioner (Shri P.L. Punia) was absent.]*

छोटी शहरी बस्तियों की संख्या में वृद्धि

*174. **श्री पी.एल. पुनिया** : क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी शहरी बस्तियों की तुलना में छोटी शहरी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो छोटी शहरी बस्तियों की संख्या और उनकी आबादी कितनी है;

(ग) क्या सरकार छोटी शहरी बस्तियों का समन्वित शहरी नियोजन करने का विचार रखती हैं; और

(घ) यदि हां, तो कार्य योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) शहरीकरण और शहरी विकास राज्य का विषय है। शब्द 'शहरी समूह' का प्रयोग जनगणना कार्यों हेतु राज्य शहरी विधि में या भारत के महापंजीयक द्वारा नहीं किया गया है।

तथापि, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के जनसंख्या प्रभाग, सामाजिक और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित "यूनाईटेड नेशनस वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, दो 2018 रीविजन" के अनुसार वर्ष 2005-15 की अवधि के दौरान भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूहों की संख्या 41 से बढ़कर 59 हो गयी है, जबकि 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरी समूहों की संख्या 89 से बढ़कर 111 हो गयी है।

(ग) और (घ) नगर आयोजना सहित शहरी आयोजना राज्य का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 य घ और 243 य ड़ के माध्यम से राज्यों को क्रमश: नगरपालिकाओं और महानगर क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने हेतु जिला आयोजना समितियां और महानगर आयोजना समितियां बनाने का अध्यादेश प्राप्त है। तथापि, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के मार्गदर्शन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना प्रतिपादन और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में एकीकृत क्षेत्रीय और शहरी आयोजना को बढ़ावा देने के लिए कार्य ढांचा उपलब्ध है।

Increase in smaller urban clusters

†*174. SHRI P.L. PUNIA : Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of smaller urban clusters is increasing rapidly as compared to mega size urban clusters in the country;

(b) if so, the number of smaller urban clusters along with their population;

(c) whether Government proposes to undertake integrated urban planning of smaller urban clusters; and

(d) if so. the details along with action plan thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Home.

Statement

(a) and (b) Urbanisation and urban development is State subject. The term ‘urban clusters’ has not been used in the State Urban Laws or by the Registrar General of India lor Census operations.

†Original notice of the question was received in Hindi.

However, as per 'United Nations World Urbanisation Prospects: The 2018 Revision', published by the Population Division, Department of Social and Economic Affairs of the United Nations Secretariat, the number of urban agglomerations in India with population of more than 10 lakh has increased from 41 to 59 during the period 2005-15, while the number of urban agglomerations having population between 3 to 10 lakh has increased from 89 to 111.

(c) and (d) Urban planning, including the town planning, is a State subject. Articles 243ZD and 243ZE of the Constitution mandate States to form District Planning Committees and Metropolitan Planning Committees to prepare development plans for the municipalities and the metropolitan areas, respectively, For the guidance of State Governments and Urban Loca! Bodies, however, the Ministry of Housing and Urban Affairs has issued Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, 2014. These Guidelines provide a comprehensive framework for promoting integrated regional and urban planning.

श्री अजय प्रताप सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई गांव शहर में कब परिवर्तित होता है? क्या इसके लिए सरकार के कोई मानक तय हैं या मापदंड तय हैं? अगर तय हैं, तो कृपया उनको स्पष्ट करें।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the question is about the increase in the number of small clusters, those with a population of 3-10 lakhs and ten lakhs and above. Now, this is a reference to an UN Report which was produced by the Department of Economic and Social Affairs. इस रिपोर्ट को भी पढ़ कर इसमें कोई evidence नहीं मिलता कि जो smaller urban agglomerates हैं, these are increasing faster. वे जो figures हैं, उनसे ऐसा ही लगता है कि this is adhoc. यह 2018 की Department of Economic Social Affairs की एक revision report है, जहां से यह statistics आया है। हमारे पास specific कुछ नहीं है, जहां तक हम देख रहे हैं, urbanization सब जगह हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Q. Nos. 175 and 177 are broadly similar. I will take them up together.

शहरों का स्मार्ट सिटीज़ में रूपांतरण

*175. **श्री राम नाथ ठाकुर** : क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सौ शहरों को स्मार्ट सिटीज़ में रूपांतरित करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सौ शहर वर्ष 2019-20 तक स्मार्ट सिटीज़ में रूपांतरित हो जाएंगे; और